क्रम-संख्या–69 (झ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०/91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 11 मई, 2020

बैशाख 21, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 445/ग्यारह-2–9(47)-17-उ0प्र0अधि0–1–2017-आदेश(118)-2020
लखनऊ, 11 मई, 2020

अधिसूचना

प0आ0–121

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 20 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 14 सन् 2017) की धारा 21 का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश में महामारी कोविड-19 के प्रसार के दृष्टिगत, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा निम्नवत् अधिसूचित करती हैं कि–

(i) जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा को, जो 20 मार्च, 2020 से 29 जून, 2020 तक की अवधि के अन्तर्गत आता है, उक्त अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट या विहित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरी करना या उसका अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो, निम्न उद्देश्यों सहित के लिए, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी जाएगी–

(क) उपर्युक्त दिये गये अधिनियमों के उपबंधों के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयोग या अधिकरण द्वारा, किसी कारवाई को पूरी करना या किसी भी आदेश को पारित करना या किसी नोटिस को जारी करना, संसूचना, अधिसूचना, संस्वीकृति या अनुमोदन या इस तरह की अन्य कार्रवाई, जो भी नाम से हो; या

(ख) उपर्युक्त दिये गये अधिनियमों के उपबंधों के अधीन कोई अपील दाखिल करना, कोई भी रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणी, कथन, या ऐसे अन्य अभिलेख को प्रस्तुत करना, जो भी नाम से पुकारा जाता है:

किन्तु समय का ऐसा विस्तार, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, जैसा कि नीचे उल्लिखित है :–

(क) अध्याय IV;

(ख) धारा 10 की उपधारा (3), धारा 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69,90, 122, 129;

(ग) धारा 39, उपधारा (3), (4) और (5) को छोड़कर;

(घ) धारा 68, जहां तक ई–वे बिल का संबंध है; तथा

(ङ) उपरोक्त खण्ड (क) से (घ) तक विनिर्दिष्ट उपबंधों के अधीन बनाए गए नियम;

(ii) जहां उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138 के अधीन ई–वे बिल सृजित किया गया है और जिसकी वैधता की अवधि, 20 मार्च, 2020 से 15 अप्रैल, 2020 के दौरान समाप्त हो गई है, ऐसे ई–वे बिल की वैधता अवधि को 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दिया गया समझा जाएगा।

2–यह अधिसूचना 20 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 445/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(118)-2020, dated May 11, 2020:

No. 445/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(118)-2020

Dated Lucknow, May 11, 2020

IN exercise of the powers conferred by section 168A of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no.1 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), *read* with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 13 of 2017), and section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 14 of 2017), in view of the spread of pandemic COVID-19 in Uttar Pradesh, the Governor, on the recommendations of the Council, hereby notifies, as under,-

(i) where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority or by any person, has been specified in, or prescribed or notified under the said Act, which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of June, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time limit for completion or compliance of such action, shall be extended upto 30th day of June, 2020, including for the purposes of--

(a) completion of any proceeding or passing of any order or issuance of any notice, intimation, notification, sanction or approval or such other action, by whatever name called, by any authority, commission or tribunal, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above; or

(b) filing of any appeal, reply or application or furnishing of any report, document return, stgatement or such other record, by whatever name called, under the provisions of the Acts stated above:

but suich extension of time shall not be applicable for the compliances of the provisions of the said Act, as mentioned below-

(a) Chapter IV;

(b) sub-sectin (3) of section 10, sections 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;

(c) section 39, except sub-section (3), (4) and (5);

(d) section 68, in so far as e-way bill is concerned; and

(e) rules made under the provisons specified at clause (a) to (d) above;

(ii) where an e-way bill has been generated under rule 138 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 and its period of validity expires during the period 20th day of March, 2020 to 15th day of April, 2020, the validity period of such e-way bill shall be deemed to have been extended till the 30th day of april, 2020.

2. This notification shall be deemed to come into force with effect from the 20th day of march, 2020.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 71 राजपत्र–2020–(138)–599 प्रतियां (क0/टी0/आ0)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 20 सा0 राज्य कर–2020–(139)–3500 प्रतियां (क0/टी0/आ0)।
71 RPH rajaya kar anu-2 GST folder.-2020-DATA-7e